

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.  
राजस्व वाद पत्र संख्या :-2015/00038, 2015/00096

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

**बनाम**

विद्यादेवी पत्नी दुलीचन्द जाति कुम्हार निवासी 2 एमजीडब्ल्युएम, खाजूवाला।

.....प्रतिवादी

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.**

**—:निर्णय:**

**दिनांक:— 05.12.2022**

उक्त दोनों वादपत्र एक ही प्रतिवादी के है एवं वादपत्र 2015/00038 का चक, मुरब्बा नम्बर ही पत्रावली सं० 2015/00096 में शामिल होने के कारण दोनों का निर्णय एक साथ ही लिखा जा रहा है। उक्त निर्णय की प्रति दोनों पत्रावली में संलग्न रहे। राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 2 एमजीडब्ल्यु के मु०नं० 100/25 के किला नं० 23 ता 25 एवं इसी चक के मु०नं० 100/26 के किला नं० 100/26 के किला नं० 1 ता 5 में खातेदार विद्यादेवी पत्नी दुलीचन्द जाति कुम्हार निवासी 2 एमजीडब्ल्युएम द्वारा अवैध खनन होना पाया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी खातेदार को अवैध खनन करते होना पाया गया है। अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। दावों में संलग्न अभियान दल की रिपोर्ट, नक्शा, जमाबन्दी संलग्न कर प्रस्तुत है।

सर्वप्रथम वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/121,113 दिनांक 03.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर के चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु०नं० 100/25 के किला नं० 23 ता 25 व इसी चक के मु०नं० 100/26 के किला नं० 1 ता 5 की 08.00 बीघा कमाण्ड विद्यादेवी पत्नी दुलीचन्द जाति कुम्हार निवासी 2 एमजीडब्ल्युएम खातेदार रहन एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा दन्तौर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौका अनुसार रकबे में मु०नं० 100/25 के किला नं० 23 ता 25 में सरसों व मु०नं० 100/26 के किला नं० 1,2 खाली व किला नं० 3 ता 5 में गेंहूं की काश्त है। चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु०नं० 100/25 के किला नं० 23 ता 25 व इसी चक के मु०नं० 100/26 के किला नं० 1 ता 5 की 08.00 बीघा कमाण्ड रकबे में पूर्व में अवैध जिप्सम खनन (कृषि से अकृषि कार्य) होता था। बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 03.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढंग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.03.2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया खातेदार से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे हैं। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्तें 1955 लागू हैं। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रूप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरूर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायतें लगातार आती रही हैं। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि के चक 2 एमजीडब्ल्यूएम मु0नं0 100/25 के किला नं0 23 ता 25 व इसी चक के मु0नं0 100/26 के किला नं0 1 ता 5 की 08.00 बीघा कमाण्ड पर अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्तें 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 2 एमजीडब्ल्यूएम मु0नं0 100/25 के किला नं0 23 ता 25 व इसी चक के मु0नं0 100/26 के किला नं0 1 ता 5 की 08.00 बीघा कमाण्ड उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(शयोराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)